न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 102/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

—आवेदक—

बनाम

1. श्री मनोज यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव
   एफबीओ मैसर्सः—मुस्कान डेयरी, गोल चक्कर के पास, राजगढ जिला अलवर।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत ने दिनांक 03.08.2023 को प्रातः 10:30 बजे पुलिस थाना बसवा द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाने के बाहर रूकवाये गये वाहन संख्या RJ14GH3524 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री मनोज यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त वाहन संख्या RJ14GH3524 में 90 टीन 15 किलोग्राम पैकिंग में पैक वनस्पति (Vanaspati) ले जाना बताया एवं स्वयं को मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण आवेदन पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय वाहन संख्या RJ14GH3524 में 90 टीन 15 किलोग्राम पैकिंग में पैक वनस्पति (Vanaspati) आम जनता को विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से एक टिन में से नमूने की जॉच हेतु 1600 ग्राम वनस्पति (Vanaspati) एक साफ एवं खाली बर्तन में खरीदा। जिसकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। निरीक्षण के समय वाहन संख्या RJ14GH3524 में 90 टीन 15 किलोग्राम पैकिंग में पैक वनस्पति (Vanaspati) पर किसी भी प्रकार का लेबल, अवधि, बैच संख्या आदि अंकित नहीं था। उक्त 90 टीनो में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार मालिक श्री मनोज यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव की अभिरक्षा में सीज करने हेतु कहा गया। मालिक श्री मनोज यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव द्वारा अपने परिचित स्थानीय निवासी श्री जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री शिवलहरी सैनी निवासी साकेतधाम मंदिर, पंडितपुरा रोड बांदीकुई के मकान पर ले जाकर सीजर की समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की गई एवं श्री जितेन्द्र कुमार सैनी से मौके पर उपस्थित गवाहो के समक्ष बंधपत्र, सीजर फार्म, फर्द रिपोर्ट पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करवाकर सहमति ली गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1600 ग्राम वनस्पति (Vanaspati) को 400 ग्राम प्रति के अनुसार चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर—बराबर डालकर चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3679 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद मुख्यालय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 04.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 04.08.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1402/एक्ट/2023/1424 दिनांक 14.08.2023 के अनुसार अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तग के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1402/एक्ट/2023/1424 दिनांक 14.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Vitamin A & Baudoine Test Negative** पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। निरीक्षण के समय वाहन संख्या **RJ14GH3524** में 90 टीन 15 किलोग्राम पैकिंग में पैक वनस्पति (**Vanaspati**) पर किसी भी प्रकार का लेबल, अवधि, बैच संख्या आदि अंकित नहीं था। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है साथ ही बिना खाद्य अनुज्ञा/रजिस्ट्रेशन के उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय कर धारा 31(**II**) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे एवं सीज किये गये खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) 90 टीन के निस्तारण करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में लिखित में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बहस के दौरान निवेदन किया गया कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों को ध्यान में रखते हुये ही निर्मित कर खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जायेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1402/एक्ट/2023/1424 दिनांक 14.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) का नमूना अवमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है एवं खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) 90 टीन 15 किलोग्राम पैकिंग में पैक वनस्पति (**Vanaspati**) पर किसी भी प्रकार का लेबल, अवधि, बैच संख्या आदि अंकित नहीं होना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बिना ही खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

<u>प्र. सं. : 102 / 2023 FSSA</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (**SubStandard**) स्तर के खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) का बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के विक्रय किये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री मनोज यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव एफबीओ मैसर्सः—मुस्कान डेयरी, गोल चक्कर के पास, राजगढ जिला अलवर पर 20000 / —(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.12.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा उक्त सीज किये गये खाद्य पदार्थ वनस्पति (**Vanaspati**) 90 टीन का नियमानुसार सक्षम अधिकारी की निगरानी में नष्टीकरण कराया जाकर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA/** दिनांकः— 06.12.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को पालनार्थ।
3. श्री मनोज यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव
   एफबीओ मैसर्सः— मुस्कान डेयरी, गोल चक्कर के पास, राजगढ जिला अलवर।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा